

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
राजस्व लोक अदालत मुकाम बेंरा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :  
[आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0]

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर  
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 93/2018 राजस्व वाद

1. सीता पत्नि सुखदेव गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0  
अनवान

— (वादीया)

1. पार्वती देवी पत्नि श्याम सुन्दर समदानी निवासी गली नम्बर 04 वर्धमान कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील  
व जिला भीलवाड़ा (राज.)  
2. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात  
उपस्थित -

1. पक्षकारान उभयपक्ष उपस्थित
2. परोकार सरकार..... विपक्षी कम 02

दिनांक- 15.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बेंरा में पक्षकारान उभयपक्ष तथा राज्य पक्ष की  
और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 15.06.2018 को न्यायालय के समक्ष  
अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का  
वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी सहमति से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत  
डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बेंरा पटवार क्षेत्र बेंरा तहसील बनेड़ा  
स्थित खतौनी संख्या 589 किता 1 कुल रकबा 05-00 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01  
के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं  
हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1 सीता पत्नि सुखदेव गुर्जर सादेह खातेदार (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
2256/1	02-10	1.12
कुल 01	रकबा 02-10 बीघा	1.12

2 पार्वती देवी ध.प. श्यामसुन्दर समदानी सा. वर्धमान कॉलोनी भीलवाड़ा तह. व जिला भीलवाड़ा  
(विपक्षी संख्या 01 )

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
2256	02-10	1.13
कुल 01	रकबा 02-10 बीघा	1.13




उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बेंरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा